



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्क/192

दिनांक: 26.05.2026

को,
प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) पर सुझावों का अनुरोध

यह आपको सूचित करने के लिए है कि भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की ओर से उद्योग जगत के हितधारकों से गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) पर विशेष सुझाव प्रस्तुत करने का तत्काल अनुरोध किया गया है, जो भारतीय निर्यातकों और चार प्रमुख साझेदार देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका (यएस), यूनाइटेड किंगडम (यूके), यूरोपीय संघ (ईयू) और न्यूजीलैंड (एनजिड) के साथ व्यापक व्यापार प्रवाह का प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

यह अभ्यास वर्तमान में विचाराधीन और हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत भारत के व्यापार और वाणिज्यिक हितों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले गैर-टैबलेस (एनटीबी) पर अपने विस्तृत सुझावों को नीचे दिए गए विशिष्ट प्रारूप में सीझा करें:

भारतीय निर्यातकों और अमेरिका/ब्रिटेन/यूरोपीय संघ/न्यूजीलैंड के निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली गैर-बाधाएँ						
क्रमांक	देश का नाम	वस्तु/क्षेत्र	बाधा की प्रकृति/ प्रासंगिक नियामक या तकनीकी आवश्यकताएँ	वर्तमान स्थिति/बाजार पहुंच को प्रभावित करने वाले ऐसे उपायों के उपलब्ध उदाहरण या साक्ष्य	प्रश्न/प्रस्तावित संकल्प	टिप्पणी

समय पर संकलन और जमा करने के लिए इनपुट जमा करने की अंतिम तिथि **27.05.2026 शाम 4:00 बजे तक है। इनपुट bharti@plexconcil.org और shilpa@plexconcil.org पर भेजे जाने चाहिए।**

सम्मान
भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल